न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 49/2018 **दायरा दिनांक : 27.03.2018**

उनवान

श्रीमती राजबाला पत्नि सत्यप्रकाश जाति जाट निवासी मकान नं0 27 आर.के.पुरम कोटा तह0 लाडपुरा जिला कोटा

.... अपीलांट

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र पूरणमल जाति ब्राहमण निवासी किशनपुरा तह0 मांगरोल जिला बारां राज0
2. गायत्री बाई पत्नि देवकीनन्दन जाति ब्राहमण निवासी महावीर नगर
3. तृतीय कोटा जिला कोटा, राज0 हाल निवासी368 दोलतनगण वार्ड नं0 28 बूंदी शहर जिला बूंदी, राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री धर्मेन्द्र चौधरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री कमलदीप सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निर्णय दिनांक : 27.01.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या 99/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 05.02.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 कम 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे एक वाद धारा 88,89,188 आर.टी.ए. अपीलान्ट एवं रेस्पो0 कम 2 व 3 के विरूद्ध पेश किया था जिसमे दिनांक 05.02. 2018 को एक पक्षीय निर्णय पारित कर रेसपो0 कम का वाद स्वीकार कर लिया है। जिसकी अप्रसन्नता से यह अपील न्यायालय में पेश की हा रही है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं रिकार्ड का अवलोकन किये उक्त निर्णय व डिक्री पारित करने मे भारी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे जल्दबाजी करते हुये बिना दस्तावेजी साक्ष्य के केवल मौखिक बयानो के आधार पर एक पक्षीय निर्णय पारित किया है। जबकि उक्त प्रकरण मे अपीलांट को कभी भी तलबी के नोटिस प्राप्त नही हुये है ना ही अपीलांट को उक्त प्रकरण की कोई जानकारी थी अपीलांट ने आराजी खसरा नं0 4152 रकबा 0.53 हेक्टर, खसरा नं0 4177 रकबा 5.88 हेक्टर, खसरा नं. 4179 रकबा 1.88 हेक्टर कुल किता 3 रकबा 8.22 हेक्टर के माल मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां को रेस्पो0 कम 2 से दिनांक 21.04.2009 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बिल एवज रकम 68,00,000/– रूपये मे खरीद किया है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 25.05.2009 को नामान्तरकरण सं0 1243 से अपीलांट को खातेदार कृषक घोषित किया गया है तथा विक्रय दिनांक से अपीलांट उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। उक्त तथ्यों की अनदेखी करते

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

हुए अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तोर पर मौखिक साक्ष्य के आधार पर अपीलांट को बिना सुने नैसर्गिक न्याय के सिद्धातों की अवहेलना करते हुए उक्त निर्णय व डिक्री पारित की है जो खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.02.2018 अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई एवं अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट की प्रोपर तामील नहीं हुई है । अधीनस्थ न्यायालय ने हमें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों की तलबी की है । जबकि रजिस्टर्ड ए डी से तलबी की है । निर्णय की दिनांक से 10 – 15 दिन बाद अपील पेश कर दी जब जानकारी ही नहीं थी तो निर्णय होने के बाद अपील पेश कर दी । जानबूझकर नोटिस नहीं लिया । फैसला विरूद्ध होने पर अपील कर दी । वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट के पूर्वजों की थी । उनकी बेवा कंचन को इस शर्त पर दी जब तक जीवित रहेगी उसका उपभोग करेगी बेचान नहीं कर सकेगी उसके पश्चात् वादग्रस्त आराजी विधिक वारिसान को मिलेगी नामान्तरकरण में लिखा है । रेस्पोडेंट संख्या 2 गायत्री बाई कंचन बाई की कोई रिश्तेदार थी । गायत्री बाई ने अपने नाम दानपत्र करवा लिया । गायत्री ने आगे बेच दी । अधीनस्थ

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्धअधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

न्यायालय का निर्णय सही है । दस्तावेजात एक्जीविट हुए हैं । उसके आधार पर निर्णय हुआ है जो सही है । अतः अपील खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इन्तकाल संख्या 613 दिनांक 14.06.2002 व इन्तकाल संख्या 1243 दिनांक 25.05.2009 को खारिज करने में त्रुटि की है क्योंकि इन्तकाल नम्बर 613 रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर स्वीकृत हुआ है व इन्तकाल नम्बर 1243 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय सम्पूर्ण रिकार्ड का पुनः अवलोकन कर पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाना हम उचित समझते हैं । अतः हम प्रकरण को रिमाण्ड किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.02.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारों को उचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.05.2021 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा